न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 60/2007 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. महीपाल सिंह

2. कृपालसिंह

3. भरतसिंह पुत्रान जुगल सिंह

4. हरिपाल सिंह पुत्र बिडदसिंह

5. मोतीसिंह पुत्र हजारी सिंह

6. सवाई सिंह पुत्र लखजीसिंह

7. रोहिताश सिंह पुत्र लखजीसिंह

8. बिजेन्द्र सिंह पुत्र लखजीसिंह

9. अशोक सिंह पुत्र लखजीसिंह

जाति राजपूत निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर

जिला अलवर राजस्थान

:—— अपीलांटान

बनाम

1. रामबाबू पुत्र किशनसिंह

2. पूर्णसिंह पुत्र किशनसिंह

जाति राजपूत निवासीयान ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर (अलवर)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

3. तहसीलदार मुण्डावर

:----- रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखंड अधिकारी, मुण्डावर

दिनांक 14.2.2007

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं01,2 :- श्री अशोककुमार मुदगल

3. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 16.5.2017

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा मुकदमा नम्बर 181/2004 में पारित निर्णय दिनांक 14.2.2007 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद नोट प्रेस में खारिज किया गया है ।

2. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि वादी अपीलांट अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.2.2007 के दिन तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये थे और ना ही अपने वकील से नोट प्रेस में वाद को खारिज करने बाबत कहा था । तहत न्यायालय को चाहिये था कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादी अपीलांट की राय लेनी चाहिये थी कि नोट प्रेस में खारिज किया जावे अथवा नहीं । कुल कार्यवाही बाला बाला की गई है । वाद के नोट प्रेस में खारिज होने से वादी अपीलांट अपने अधिकारों से वंचित रह जायेगा । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

3. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि वाद को नोट प्रेस में खारिज करने बाबत इनके वकील ने सहमति दी है, जिसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 14.2.2007 में अंकित है । नोट प्रेस में खारिज कराये प्रकरण की अपील नहीं की जा सकती । अपील सारहीन है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त हमारा यह विनम्र मत है कि अगर वादी के वकील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

ने प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करने बाबत अपनी सहमति दी थी तो न्यायालय का यह न्यायिक दायित्व हो जाता है कि वो सम्बन्धित पक्षकार को तलब कर इस बाबत अवगत करावें कि आपके वकील ने प्रकरण को नोट प्रेस में खारिज करने बाबत अपनी सहमति दी है, आपकी क्या राय है । तत्पश्चात ही आगे कार्यवाही की जानी चाहिये थी । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया और सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । हमारा यहां यह भी विनम्र मत है कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि वकील की गलती की सजा पीडित पक्षकार को नहीं दी जा सकती । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम न्याय हित में नरम रूख अपनाते हुये प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने हेतु रिमांड किया जाना उचित समझते हैं ।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.2.2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वाद प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करें । उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वो वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 2.7.2017 को उपस्थित हों ।

6. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner